यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** के माह 09/2014 से 09/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय पाल सिंह नेगी व॰ लेखापरीक्षक, श्री देवेंद्र कुमार दिवाकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20-10-2020 से 26-10-2020 तक श्री शरत श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ) **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** का मुख्य कार्यकलाप छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है।

(ब) **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** के अन्तर्गत बी॰ए॰ 07 विषयों मे संचालित किया जा रहा है।

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**	**आवंटन**	**व्यय**	**आधिक्य**	**बचत**
2017-18	-	118.58	84.14	-	34.44
2018-19	-	115.57	89.11	-	26.46
2019-20	-	135.24	135.06		0.18
2020-21 (08/2020)	-	62.87	62.59		-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	बचत (-)
2017-18					
2018-19	शून्य				
2019-20					
2020-21 (upto 10/2020)					

(ii) इकाई को बजट राज्य सरकार से प्राप्त होता है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

प्रमुख सचिव – सचिव - निदेशक - प्राचार्य / संयुक्त निदेशक

3. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 02/2018, 05/2019 एवं 02/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।

4. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2-ब

प्रस्तर01:- कन्या महाविद्यालय के निर्माण पर रु 333.00 लाख का अलाभकारी व्यय

सचिव अल्पसंख्यक कल्याण उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 898/XVII-3/14-07(34-एमएसडीपी)2014 दिनांक 17 अक्तूबर 2014 के द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास योजना (पूर्व नाम एम0एस0डी0पी0) के अंतर्गत हरिद्वार विकासखंड नारसन (मंगलौर) सीकर मे राजकीय कन्या डिग्री कालेज का निर्माण हेतु रु 336.75 लाख का विस्तृत आंगणन गठित किया गया । भारत सरकार द्वारा रु 333.00 लाख की राशि अनुमोदित कर राशि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को अवमुक्त की गयी। भवन के निर्माण हेतु राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 01.01.2014 को निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड को 0.6653 हे0 भूमि आरक्षित की गयी थी । निर्माण को सम्पन्न किये जाने हेतु निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था के मध्य जनवरी 2015 मे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। अभिलेखो के अनुसार रु 333.00 लाख का व्यय करके निर्माण कार्य माह 03/2017 को पूर्ण किया गया । उच्च शिक्षा विभाग द्वारा पदो के सृजन का शासनादेश निर्गत नहीं किये जाने के कारण निर्माण के तीन वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कन्या महाविद्यालय को उपयोग मे नहीं लाया सका । अभिलेखो के अनुसार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तराखंड देहरादून द्वारा निर्मित भवन को उच्च शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरण किये जाने हेतु विभागीय अधिकारी नामित किये जाने की अपेक्षा की गयी। जिसके क्रम मे जनवरी 2020 मे निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा राजकीय महाविद्यालय मंगलौर हरिद्वार को भवन हस्तांतरण हेतु तथा प्राचार्य डोईवाला राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को निदेशक प्रतिनिधि एवं जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अभियंता को प्रगति एवं गुणवत्ता परीक्षण हेतु नामित किया गया था। दिनाक 16/06/2020 को उक्त भवन महाविद्यालय मंगलौर द्वारा बगैर पदो के स्वीकृत के सृजन के हस्तगत कर लिया गया था । अभिलेखो के अनुसार हस्तगन के पश्चात भी भवन अनुपयोगी रूप से पड़ा हुआ था। वर्तमान मे भवन की सुरक्षा हेतु चौकीदार की नियुक्ति पर प्रतिमाह दिये जाने वाला वेतन एवं विद्युत बिलो का अतिरिक्त भार भी महाविद्यालय पर पड रहा था।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की जब भूमि उच्च शिक्षा विभाग के नाम आरक्षित कर दी गई गई थी तो निर्माण कार्य के समझौता ज्ञापन पर उच्च शिक्षा को शामिल क्यो नहीं किया गया। तथा शासन द्वारा पदो का सृजन न किये जाने के क्या कारण थे। बिना पदो के सृजन के किस आधार पर महाविद्यालय मंगलौर द्वारा कन्या महाविद्यालय सीकर को हस्तांरन मे लिया गया। विगत तीन वर्षो से पूर्ण महाविद्यालय भवन का उपयोग मे न लाये जाने के क्या कारण थे । तथा कन्या महाविद्यालय को उपयोग मे लाये जाने हेतु महाविद्यालय मंगलौर द्वारा क्या कार्यवाही की गयी।

इकाई द्वारा इस संबंध मे बताया गया की निदेशक उच्च शिक्षा विभाग से जानकारी प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा। जून 2020 मे निदेशक महोदय के निर्देशानुसार भवन हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही की गयी। पद सृजन एवं भवन के उपयोग हेतु नियमित उच्च अधिकारियों से पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई के उत्तर से इस तथ्य की पुष्टि होती है की कन्या महाविद्यालय की स्थापना के आरंभ से उच्च शिक्षा विभाग/निदेशालय द्वारा सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी तथा रु 333.00 लाख का निर्माण करके विगत तीन वर्षो से उपयोग मे न लाकर मात्र हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही कर खानापूर्ति की गयी।

अतः कन्या महाविद्यालय के निर्माण पर रु 333.00 लाख के अलाभकारी व्यय का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर02- महाविद्यालय स्थापना के मानको को तथा एमओयू का पालन न करने से आधे अधूरे निर्माण पर रु 418.10 लाख का व्यय किया जाना

महाविद्यालय की संबद्धता हेतु पर्वतीय क्षेत्र एवं नगर निगम क्षेत्र मे 5000 वर्ग मीटर, नगर पालिका क्षेत्र मे 7000 वर्ग मीटर एवं अन्य क्षेत्र मे 10000 वर्ग मीटर की भूमि का मानक निर्धारित किया गया था। निर्माण संबंधी अभिलेखो की जांच मे पाया गया की राजकीय महाविद्यालय मंगलौर की स्थापना हेतु उत्तराखंड शासन के वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या 111/XXVII (7)50(39)-2015/2014 दिनांक 09.07.2015 द्वारा 3230 वर्ग मीटर भूमि प्रदान की गयी थी। जो 5000 वर्ग मीटर के मानक से 1770 वर्ग मीटर कम थी। उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 1459/XXIV(7)-54(2)/2015 दिनांक 09 अक्तूबर 2015 के द्वारा उक्त भूमि पर भवन निर्माण कार्यो हेतु टीएसी द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु 487.31 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। शासन द्वारा स्वीकृति पत्र मे यह निर्देशित किया गया था की कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है। विस्तृत आंगणन मे प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओ हेतु संबन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा कार्य करने से पूर्व विशिष्टियों को ध्यान मे रखकर निर्माण कार्य को सुनिश्चित किया जायेगा। समय-समय पर स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध सम्पूर्ण रु 487.31 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा चुकी थी । तत्कालीन प्राचार्य द्वारा प्लान अनुमोदित कराकर माह फरवरी 2016 से निर्माण कार्य आरंभ कराया गया था। आगे यह पाया गया की कार्य को कराये जाने से पूर्व कार्यदायी संस्था एवं प्राचार्य के मध्य किसी भी प्रकार का समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं हुआ। जिसके संबंध मे निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा कार्यदायी संस्था को दिसंबर 2018 मे निर्देशित भी किया गया था कि निर्माण कार्य का एमओयू प्राचार्य से हस्ताक्षरित कराया जाय। किन्तु अभिलेखो के अनुसार वर्तमान तक एमओयू पर प्राचार्य के हस्ताक्षर नहीं थे। एक पक्षीय एमओयू जो अक्तूबर 2016 मे निर्गत किया गया था के अनुसार धनाबंटन के 18 माह के अंदर कार्य पूर्ण किया जाना था। अभिलेखो के अनुसार प्राचार्य द्वारा समय-समय पर निर्माणाधीन भवन के ड्राइंग डिजाइन मे परिवर्तन किया गया। जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से नहीं लिया गया और न ही परिवर्तित डिजाइन की प्राविधिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी। अभिलेखो के अनुसार प्रमुख सचिव महोदय द्वारा माह 09/2019 की समीक्षा बैठक मे निर्माण कार्य माह 10/2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु लेखा परीक्षा तिथि तक (अक्तूबर 2020) भी कार्य निर्माणाधीन था। माह 09/2020 मे प्राचार्य द्वारा समय से धनराशि उपलब्ध न होने एवं अन्य स्थानिक कारणो से निर्धारित समय के अंतर्गत कार्य पूर्ण न होने के कारण रु 611.93 लाख का पुनरीक्षित आंगणन प्रेषित किया गया। जबकि समझौता ज्ञापन के अनुसार कार्य के पुनरीक्षण की कतई अनुमति नहीं थी। प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार निर्माण कार्यो का थर्ड पार्टी निरीक्षण जो निर्माण कार्य के आरंभ से किया जाना था, भी नहीं कराया गया ।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की मानक से कम भूमि का पंजीकरण कर महाविद्यालय की स्थापना के क्या कारण थे । कार्यदायी संस्था और महाविद्यालय के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बगैर निर्माण कार्य कराये जाने के कारणो को स्पष्ट करे। शासन द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत करते समय दिये गये शर्तो का पालन न किये जाने के कारणो को स्पष्ट करे। तथा परिवर्तित ड्राइंग डिजाइन की प्राविधिक स्वीकृत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कराये बगैर निर्माण कार्य कराये जाने के कारणों को स्पष्ट करे।

इकाई ने अपने उत्तर मे बताया की भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाही उच्च शिक्षा निदेशक और तत्कालीन नामित नोडल अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई थी। मानक से कम होने पर नैक प्रत्यायन एवं स्थायी संबद्धता मे अवरोध उत्पन्न हो सकता है। कार्यदायी संस्था द्वारा महाविद्यालय को एमओयू प्रेषित न किये जाने के कारण महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया। एमओयू पर प्राचार्य के हस्ताक्षर न होने के कारण शासन द्वारा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत जारी करते समय दिये गये शर्तो का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा न किये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। तथा जानकारी के अभाव मे ड्राइंग-डिजाइन मे परिवर्तन की प्राविधिक स्वीकृत प्राप्त नहीं की गयी।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है की महाविद्यालय की स्थापना के समय से न तो मानको का और न ही शासन द्वारा जारी शर्तो का पालन किया जा रहा है। कार्यदायी संस्था और महाविद्यालय द्वारा एमओयू का पालन न कर मनमाने तरीके से ड्राइंग-डिजाइन मे परिवर्तन कर बिना तय समय को ध्यान मे रखे निर्माण कार्य को किया जा रहा है। परिणामस्वरूप जहां एक ओर कार्य की लागत बढ़ रही है वही मानको के पूर्ण न होने से महाविद्यालय के विकास की संभावना भी नहीं रह गयी है।

अतः महाविद्यालय स्थापना के मानको तथा एमओयू का पालन न कर आधे अधूरे निर्माण पर रु 418.10 लाख का व्यय (सितंबर 2020) का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2'ब'

प्रस्तर03:- रु 2.61 लाख की निधियों धनराशि अवरोधन।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए(45)/85 दिनांक 10 जुलाई 1986 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार छात्रकोष की राशि उसी मद मे व्यय की जाएगी जिसके लिए बसूल की गयी है, बिन्दु संख्या 5 के अनुसार यदि कोई छात्र महविद्यालय के छोड़ने के 3 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नहीं देता है तो यह राशि व्यपगत कर दी जाएगी, बिन्दु संख्या 6 के अनुसार यदि किन्ही कारणो से किसी छात्रकोष मे बचत होती है और यह बचत 3 वर्ष तक बनी रहती है तो उस कोष की समिति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कॉलेज की प्रबंध समिति के अनुमोदनोपरांत शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी उच्च अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

महविद्यालय की छात्रनिधियो से संबन्धित लेखा अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि छात्र निधियो के अन्तर्गत पत्रिका निधि, विभागीय परिषद, कैरियर काउन्सलिंग एवं छात्र संघ शुल्क मे धनराशि प्रति वर्ष प्राप्त हो रही है परंतु इन छात्र निधियो से धनराशि का विगत वर्षो मे व्यय न कर धनराशि को अवरूद्ध रखा जा रहा है तथा काशन मनी की धनराशि छात्रों द्वारा वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन न किए जाने के कारण उक्त निधि मे धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। वर्तमान मे उक्त निधियों मे रु 2.62 लाख की धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। (विवरण निमन्वत)

क्र॰ सं॰	छात्र निधि का नाम	अवरूद्ध धनराशि
1	पत्रिका	41807
2	छात्र संघ	58985
3	कैरियर काउन्सलिंग	28634
4	विभागीय परिषद	63164
5	शिक्षक अभिवावक संघ	35811
6	काशन मनी	32176
योग		**260577**

उक्त निधियो के अन्तर्गत विगत वर्षो मे कोई भी धनराशि व्यय नहीं की गयी उक्त निधियो मे रु 2.61 लाख अवरूद्ध रखे जाने के कारण उक्त धनराशि को न ही छात्रों के कल्याणकारी कार्यो पर व्यय किया गया और न ही महविद्यालय के विकास कार्यो पर व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि आवश्यकतानुसार प्रत्येक निधियो मे व्यय किया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः निधियो के अन्तर्गत रु 2.61 लाख की धनराशि के अवरोधन का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर01:- विगत पाच वर्षो मे निरस्त आवेदनो की पुनः जांच कर छात्रवृत्ति का लाभ न दिया जाना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 मे छात्रवृत्ति से संबन्धित प्रेषित दिशानिर्देश के बिन्दु संख्या 3 (J) के अनुसार " The validation & authentication process may be completed by the respective school/institute/University within a period of 30 days. Within this period respective school/Institute/University will get the corrected information (if Incomplete or erroneous) and approve the same. It is mandatory to consider all beneficiaries.

महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक प्रेषित सूचनाओ के निरीक्षण मे पाया गया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक कई छात्र/छात्राओ का छात्रवृत्ति आवेदन निरस्त कर दिया गया। (सूची संलग्न) जिनके निरस्त्रीकरण की न सूचना महाविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई और न ही निरस्त आवेदनो की कमियों को सही करके पुनः समाज कल्याण को प्रेषित किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप निरस्त किये गये छात्र/छात्राएँ छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रह गये।

इस संबंध मे इकाई से पूछे जाने पर की निरस्त आवेदनो के संबंध मे समाज कल्याण से जानकारी प्राप्त न किए जाने के क्या कारण थे तथा निरस्त आवेदनो मे जिनके आवेदन मे कमियों को पूर्ण कर पुनः भेजा जा सकता था क्यों नहीं भेजे गये।

इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कीसमाज कल्याण विभाग ने निरस्त आवेदनो के संबंध मे महाविद्यालय को कभी कोई सूचना प्रेषित नहीं की । लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर समाज कल्याण को पत्र लिख कर निरस्त्रीकरण के कारणों से संबन्धित सूचना मांगी जा रही है । प्राप्त होने पर अवगत कराया जायेगा।

इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है की महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रकरण मे निरस्त किये गये आवेदनो के संबंध मे कोई जानकारी प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की जा रही । मात्र आवेदनो का सत्यापन कर समाज कल्याण को भेजने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे पात्र छात्रो के भी आवेदन निरस्त होने की वजह से छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक निरस्त आवेदनो की पुनः जांच कर छात्रवृत्ति का लाभ न दिये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर02:- महविद्यालय के संस्थागत/स्थापनागत उद्देश्ययों की पूर्ति न होना।

1. महविद्यालय का गठन वर्ष 2014 मे किया गया था तथा उस समय महविद्यालय बीए पाठ्यक्रम ही संचालित किए जाने का प्राविधान किया गया था, सत्र 2015-16 मे 240 सीटो के सापेक्ष मात्र 105 छात्रों द्वारा ही प्रवेश लिया गया सत्र 2016-17 मे 420 सीटो के सापेक्ष मात्र 220 छात्रों, सत्र 2017-18 मे 420 सीटो के सापेक्ष मात्र 287 छात्रों, सत्र 2018-19 मे 420 सीटो के सापेक्ष मात्र 312 छात्रों तथा सत्र 2019-20 मे 434 सीटो के सापेक्ष मात्र मात्र 299 छात्रों द्वारा ही प्रवेश लिया गया। इस प्रकार सत्र 2015-16 मे 56 प्रतिशत, सत्र 2016-17 मे 52 प्रतिशत, सत्र 2017-18 मे 32 प्रतिशत, सत्र 2018-19 मे 26 प्रतिशत तथा 2019-20 मे 31 प्रतिशत सीटे रिक्त रही है उक्त से स्पष्ट होता है कि महविद्यालय के गठन से वर्तमान तक प्रतिवर्ष अत्यधिक संख्या मे छात्रों की सीटे रिक्त रह रही है जिस कारण महाविधालय मे उपलब्ध सीटो की प्रवेश क्षमता के अनुसार उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
2. यूजीसी के दिशानिर्देश 2017 के बिन्दु संख्या 4.1 (vii) के अनुसार faculty Student का अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए तथा Part time faculty को इसमे सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। परंतु विश्वविध्यालय मे 5 कोर्स (विवरण निमन्वत) मे Student का अनुपात faculty की तुलना मे अधिक है

S.No.	Subjects	Student teacher Ratio
1	Hindi	1:51
2	English	1:54
3	Political Science	1:61
4	Sociology	1:64
5	History	1:50

महविद्यालय के शिक्षणेत्तर संवर्ग मे स्वीकृत पदो के सापेक्ष कार्यरत पदो के विवरण मे देखा गया है कि विश्वविध्यालय मे 05 पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 02 पद (40 प्रतिशत) रिक्त है, जिस कारण महविद्यालय के अन्तर्गत होने वाले शिक्षण एवं कार्यालय के कार्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर महविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग निर्देशन एवं अभिप्रेरण के अभाव मे छात्र संख्या आनुपातिक रूप से कम है, छात्र संख्या बढ़ाने हेतु निरंतर प्रयास किया जा रहा है, Student faculty के संबंध मे अवगत कराया कि शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग मे पदो की कमी के कारण अभिलेखो के रखरखाव एवं संचालन मे अत्यधिक कठिनाइयो का सामना करना पड़ता है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि महविद्यालय मे फ़ैकल्टी की संख्या मे कमी है। छात्रों की रिक्त सीटो की संख्या अधिक है तथा शिक्षणेत्तर संवर्ग मे भी रिक्त पदों की संख्या अधिक है।

अतः प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर03:-अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.35 लाख की कटौती न किया जाना ।

अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 214 (1)XXVVIII-3-2020-04/2008.T.C. दिनांक 4/05/2020 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के समस्त राजकीय कार्मिको एवं पेशनर्स को S.G.H.S. के तहत सातवे वेतनमान के अनुसार C.G.H.S. (Central Government Health Scheme) दरो पर अंशदान नियमानुसार लिया जाएगा।

1. वेतन लेवल 1 से 5 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 250/- प्रतिमाह
2. वेतन लेवल 6 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स. पारिवारिक पेशनर्स रु 450/- प्रतिमाह
3. वेतन लेवल 7 से 11 तक के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 650/- प्रतिमाह
4. वेतन लेवल 12 एवं उच्चतर के राजकीय कार्मिको/ पेशनर्स पारिवारिक पेशनर्स रु 1000/- प्रतिमाह

विभागाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपरोक्तनुसार अंशदान की कटौती ट्रेजरी /आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से नियमानुसार की गयी है, एवं कटौतीउपरांत धनराशि राज्यस्वास्थ्य अभिकरण अधिकारी के माध्यम से की गयी है एवंकटौतीउपरांत " राज्यस्वास्थ्य अभिकरण" के खाते मे E-Transaction के माध्यम से प्रतिमाह जमा की जा रही है।

अटल आयुष्मान योजना एवं वेतन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि महाविद्यालय मे किसी भी कार्मिक का योजना के अंतर्गत अंशदान की कोई भी कटौतीनहीं की जा रही है। (विवरणसंलग्न)

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि उच्च स्तरसे प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। कोषागार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी पात्र कर्मियों के प्रपत्र तैयार कर ट्रेजरी के सॉफ्टवेर IFMS मे उपलोर्ड कर दिये गए है अभी अंशदान कटौती के निर्देश प्राप्त नहीं हुये है जैसे ही निर्देश प्राप्त होगे अंशदान कटौती की जाएगी

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि कार्यालय द्वारा शासनादेश के अनुसार अटल आयुष्मान योजना की कटौती प्रारम्भ कर दी जानी चाहिए थी।

अतः अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत रु 0.35 लाख की कटौती न किये जाने के प्रकरण को संज्ञान मे लाया जाता है

क्र.स.	नाम एवं पदनाम	वेतन का लेवल	नियमानुसार की जाने वाली कटौती	कुल माह	कुललंबित कटौती
1.	डा॰ दिलीप सिंह नेगी, प्राचार्य	13	1000	5	5000
2.	डा॰ तीर्थ प्रकाश,एसो.प्रो. रा॰वि॰	13	1000	5	5000
3.	डा॰ शिखा ममगाई, असि॰प्रो.	12	650	5	3250
4.	डा॰ प्रज्ञा राजवंशी, असि॰प्रो.	10	650	5	3250
5.	डा॰ आशुतोष मिश्रा, असि॰प्रो.	10	650	5	3250
6.	डा॰ अनुराग, असि॰प्रो.	10	650	5	3250
7.	डा॰ रचना वत्स, असि॰प्रो.	10	650	5	3250
8.	डा॰ दीपा शर्मा,असि॰प्रो.	10	650	5	3250
9.	श्रीमती सरमिष्ठा देवी॰ सहायक पुस्त॰	05	250	5	1250
10.	श्री हरीश चन्द्र, वरि॰ सहायक	05	250	5	1250
11.	श्रीमती सीमा रतूडी, पुस्त॰ लिपिक	05	250	5	1250
			कुल योग		**रु 35,000**

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ'**	**भाग-II 'ब'**	**STAN**
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-------शून्य------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) शून्य

3. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. सं.	**नाम**	**पद नाम**	**अवधि**
1	डा॰ सुनीता गुप्ता	प्राचार्य	01.09.14 से 23.01.19
2	डा॰ तीर्थ प्रकाश	प्राचार्या प्रभारी	24.01.19 से 08.03.19
3	डा॰दिलीप सिंह नेगी	प्राचार्य	09.03.19 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, मंगलौर, हरिद्वार** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (ए.एम.जी.1) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

ए०एम०जी०-I